राजम्मल एवं एक अन्य

बनाम

मूकन उर्फ़ पेरिया पेरुमल थेवल एवं अन्य

6 अगस्त, 1981

[ओ. चिन्नप्पा रेड्डी, ए.पी. सेन तथा बहारुल इस्लाम, न्यायमूर्तिगण]

मद्रास भूदान यज्ञ अधिनियम (1958 का अधिनियम 15), धारा 11, 16, 17, 20 तथा 23 — अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व भूदान बोर्ड को भूमि का दान — पंजीकरण के अभाव में अवैध नहीं।

मद्रास भूदान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1964, धारा 11 तथा 24 — अर्थ एवं परिधि।

वादगत भूमि एक नायडू की थी, जिसने 1953 में अपंजीकृत दानपत्रों के माध्यम से उसे भूदान यज्ञ को दान कर दिया था। तत्पश्चात् मद्रास भूदान यज्ञ अधिनियम, 1958 प्रवृत्त हुआ और 1958 के इस अधिनियम में आगे चलकर भूदान (संशोधन) अधिनियम, 1964 द्वारा संशोधन किया गया। उक्त भूमि अधिनियम के अधीन उत्तरदाताओं को आवंटित की गई, जिन्होंने यह दावा किया कि वे दान से पूर्व से ही उस भूमि के कब्जे में थे। नायडू ने पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा वादगत भूमि अपीलकर्ताओं को बेच दी। अपीलकर्ताओं ने उक्त भूमि पर अपने स्वत्व की घोषणा तथा कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद दायर किया और यह अभिकथन किया कि (i) चूँकि नायडू द्वारा भूमि का दान किसी पंजीकृत दानपत्र द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए भूदान बोर्ड को तथा तत्पश्चात् उत्तरदाताओं को कोई स्वत्व अंतरित नहीं हो सकता था तथा (ii) नायडू ने विधिपूर्वक भूमि का स्वत्व उन्हें अंतरित कर दिया था। उत्तरदाताओं ने यह अभिवचन किया कि (i) भूमि भूदान अधिनियम के अधीन भूदान बोर्ड में निहित हो गई थी तथा (ii) नायडू का उसमें कोई विक्रेय हित शेष नहीं था, जिसे वह विक्रय

विलेख द्वारा अपीलकर्ताओं को अंतरित कर सकता। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के वाद को डिक्री कर दिया, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई। उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील दायर की, जिसने अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्री को उलट दिया तथा वादी के वाद को खारिज कर दिया। अपील में अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि पंजीकृत दानपत्र के अभाव में दान अवैध था तथा भूदान (संशोधन) अधिनियम के उपबंधों का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है।

अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित : 1. भूदान यज्ञ अधिनियम का उद्देश्य "श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरम्भ किए गए भूदान यज्ञ के लिए भूमि के दान को सुगम बनाना तथा ऐसी भूमि का अंतरण और बंदोबस्त निर्धन भूमिहीन व्यक्तियों के लाभार्थ अथवा सामुदायिक प्रयोजनों के लिए करना तथा ग्रामदान ग्रामों में भूमि के निहित होने और मद्रास राज्य में सर्वोदय पंचायत द्वारा उन भूमियों के प्रबंधन का उपबंध करना" है। [176 एच, 177 ए-बी]

2. धारा 11 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विधायिका का आशय भूदान अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा दान की गई भूमियों को भूदान अधिनियम के दायरे में लाना था। धारा 11 में अधिनियमित विधि केवल 1958 के भूदान अधिनियम के अधीन *पहले* से विद्यमान विधि की स्पष्ट शब्दों में की गई एक घोषणा मात्र है। [177 ई-एफ, 182 बी]

3. भूदान (संशोधन) अधिनियम की धारा 11 के खंड (ख) में किसी न्यायालय में भूदान यज्ञ के लिए दान की गई किसी भूमि के स्वत्व की घोषणा अथवा उसके कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए किसी वाद या अन्य कार्यवाही के संस्थापन पर इस आधार पर रोक लगाई गई है कि अंतरण (दान) संपत्ति अंतरण अधिनियम अथवा भारतीय पंजीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं था। धारा 11 का खंड (ग) एक कदम और आगे बढ़कर यह उपबंधित करता है कि यदि ऐसे वाद में पहले ही कोई डिक्री पारित की जा चुकी हो, तब भी

कोई न्यायालय खंड (ख) में उल्लिखित वाद की डिक्री का निष्पादन नहीं करेगा। [181 जी-एच, 182 ए-बी]

4. अधिनियम की धारा 24 इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ती कि भूदान अधिनियम के उपबंधों को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया गया था और उनका आशय भूदान अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा भूदान यज्ञ के लिए की गई भूमि के दानों को अपने अंतर्गत सम्मिलित करना था तथा ऐसे दानों को भी संपत्ति अंतरण अधिनियम और भारतीय पंजीकरण अधिनियम के सुसंगत उपबंधों से पूर्वव्यापी प्रभाव सहित मुक्त कर दिया गया था। [180 बी-सी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : सन् 1970 की दीवानी अपील सं. 1932 ।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सन् 1966 की द्वितीय अपील सं. 348 में दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ताओं की ओर से *एम. नटेसन, श्रीमती जानकी रामचन्द्रन* तथा *के. कुमार*।

उत्तरदाताओं की ओर से *वेपा पी. सारथी, गोपाल सुब्रमणियन* तथा *श्रीमती एस. गोपालकृष्णन*।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति बहारुल इस्लाम द्वारा प्रदत्त।- विशेष अनुमति द्वारा यह अपील वादियों द्वारा दायर की गई है। वाद के तात्विक तथ्य यह हैं कि वादगत भूमि एक जमींदार वेंकटरामभद्र नायडू (जिसे आगे 'नायडू' कहा गया है) की थी, जिसने 18 अगस्त, 1953 को प्रदर्श बी-1 तथा बी-2 दस्तावेजों का निष्पादन करके उसे भूदान यज्ञ को दान कर दिया था, जो अपंजीकृत दानपत्र थे। तत्पश्चात् 1958 में मद्रास भूदान यज्ञ अधिनियम, 1958 (जिसे आगे 'भूदान अधिनियम' कहा गया है) प्रवृत्त हुआ। भूदान अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित तथा अधिनियम के अधीन कार्यरत मद्रास भूदान यज्ञ बोर्ड ने वादगत भूमि प्रतिवादियों को आवंटित कर दी, जिन्होंने यह दावा किया कि वे दान से पूर्व से ही उस भूमि के कब्जे में थे।

3 अगस्त, 1960 को नायडू ने रु. 2000 की राशि के लिए पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा वादगत भूमि वादियों को बेच दी। वादियों का अभिकथन था कि वे वादगत भूमि के कब्जे में थे, किन्तु चूँकि प्रतिवादी उनके कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वादगत भूमि पर अपने स्वत्व की घोषणा तथा उसके कब्जे के लिए वाद दायर किया। वादियों का मामला यह था कि चूँकि नायडू द्वारा भूमि का दान किसी पंजीकृत दानपत्र द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए कोई स्वत्व भूदान बोर्ड को तथा तत्पश्चात् उसके आवंटियों, अर्थात् प्रतिवादियों को अंतरित नहीं हुआ और नायडू ने विधिपूर्वक स्वत्व उन्हें अंतरित कर दिया था।

2. प्रतिवादियों का मामला, अन्य बातों के साथ-साथ, यह था कि भूमि भूदान अधिनियम के उपबंधों के अधीन भूदान बोर्ड में निहित हो गई थी और नायडू का उसमें कोई विक्रेय हित शेष नहीं था, जिसे वह विक्रय विलेख द्वारा वादियों को अंतरित कर सकता था।

3. विचारण न्यायालय ने वादियों के वाद को डिक्री कर दिया। प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील में उक्त डिक्री की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई। दोनों न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया कि नायडू द्वारा वादगत भूमि का दान पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप नहीं था और परिणामस्वरूप वादगत भूमि का स्वत्व नायडू से भूदान बोर्ड को अंतरित नहीं हुआ। प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्री को उलट दिया तथा वादियों के वाद को खारिज कर दिया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपनी डिक्री 1 अक्टूबर, 1962 को पारित की थी, जबकि उच्च न्यायालय ने अपनी आक्षेपित डिक्री 31 दिसम्बर, 1969 को पारित की; इस बीच, 1964 में, मद्रास भूदान यज्ञ अधिनियम, 1958 में मद्रास भूदान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1964 (जिसे आगे 'भूदान (संशोधन) अधिनियम' कहा गया है) द्वारा संशोधन किया गया।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि नायडू द्वारा वादगत भूमि का भूदान बोर्ड को दान, 1958 के भूदान अधिनियम तथा 1964 के भूदान (संशोधन) अधिनियम के पारित होने से पूर्व किया गया था; अतः इन दोनों अधिनियमों के उपबंध नायडू द्वारा भूदान बोर्ड को किए गए वादगत भूमि के दान को संपत्ति अंतरण अधिनियम तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के प्रवर्तन से नहीं बचा सकते थे। दूसरे शब्दों में, निवेदन यह है कि पंजीकृत दानपत्र के अभाव में दान अवैध था।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने भूदान अधिनियम अथवा भूदान (संशोधन) अधिनियम के उपबंधों की वैधता अथवा उनकी विधिक शक्ति को चुनौती नहीं दी है। उनका निवेदन यह है कि उपर्युक्त उपबंधों का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है।

7. भूदान अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि उसकी उद्देशिका से प्रकट होता है, "श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरम्भ किए गए भूदान यज्ञ के लिए भूमि के दान को सुगम बनाना तथा ऐसी भूमियों का भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों के लाभार्थ अथवा सामुदायिक प्रयोजनों के लिए अंतरण और बंदोबस्त करना तथा ग्रामदान ग्रामों में भूमियों के सर्वोदय पंचायत में निहित होने और मद्रास राज्य में उन भूमियों के प्रबंधन का उपबंध करना" है।

धारा 2 के खंड (क) के अधीन 'भूदान यज्ञ' को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ "भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों, सहकारी समितियों अथवा सर्वोदय पंचायतों को वितरण करने अथवा सामुदायिक प्रयोजनों के लिए स्वैच्छिक उपहारों के माध्यम से भूमि प्राप्त करने हेतु श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरम्भ किया गया आन्दोलन" बताया गया है। यही कारण है कि, ऐसा प्रतीत होता है, भूदान यज्ञ को भूमि के दानों को भारतीय पंजीकरण अधिनियम तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्त रखा गया था, जैसा कि अभी स्पष्ट होगा।

8. मैं सर्वप्रथम मूल भूदान अधिनियम (1958 का) के सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करूँगा और 1964 के संशोधन से पूर्व विधि की स्थिति का परीक्षण करूँगा। भूदान

अधिनियम की धारा 3 में "मद्रास राज्य भूदान यज्ञ बोर्ड" (जिसे आगे 'भूदान बोर्ड' कहा गया है) नामक एक बोर्ड की स्थापना तथा निगमित किए जाने का उपबंध किया गया था। भूदान अधिनियम की धारा 11 में यह उपबंध था कि "भूदान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए दान की गई सभी भूमियाँ, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से *पूर्व* (बल प्रदान किया गया) अथवा पश्चात् दान की गई हों, धारा 16, 17 तथा 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य बोर्ड में निहित होंगी।"

धारा 11 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विधायिका का आशय भूदान अधिनियम के प्रारम्भ होने से *पूर्व* किसी भी व्यक्ति द्वारा दान की गई भूमियों को भूदान अधिनियम के दायरे में लाना था।

धारा 16 की उपधारा (1) का खंड (क), जो सुसंगत है, निम्नलिखित शब्दों में है :-

"16(1)—फिलहाल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,

(क) कोई भी स्वामी, विहित रीति से की गई घोषणा द्वारा, अपनी भूमि भूदान यज्ञ के लिए दान कर सकता है।

परंतु यह उपबंधित है कि .... ।

परंतु यह और उपबंधित है कि .... ।

धारा 16 की उपधारा (3) इस प्रकार है :

"उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा उस तालुक अथवा उप-तालुक, जहाँ भूमि स्थित है, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले तहसीलदार अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले उप-तहसीलदार के समक्ष दाखिल की जाएगी।"

धारा 17 की उपधारा (1) में यह उपबंध था कि "धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन दाखिल की गई प्रत्येक घोषणा को यथाशीघ्र फोर्ट सेंट जॉर्ज राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित किया जाएगा।"

जिस किसी व्यक्ति का हित दान की घोषणा से प्रभावित होता था, वह उपधारा (2) के अधीन तहसीलदार अथवा उप-तहसीलदार के समक्ष आपत्तियाँ दाखिल कर सकता था। उपधारा (3) के अधीन तहसीलदार अथवा उप-तहसीलदार को ऐसी प्रत्येक आपत्ति का पंजीकरण करना होता था, सुनवाई की एक तिथि नियत करनी होती थी तथा सुनवाई की तिथि की सूचना दाता, आपत्तिकर्ता, भूदान बोर्ड तथा संबंधित स्थानीय समिति को देनी होती थी और तत्पश्चात् उपधारा (4) के अधीन उसे आपत्ति की जाँच करके उसका निस्तारण करना होता था तथा आदेश द्वारा घोषणा की पुष्टि करनी होती थी अथवा उसे शून्य और अविधिमान्य घोषित करना होता था। उपधाराएँ (5) तथा (6), जो महत्वपूर्ण हैं, निम्नलिखित शब्दों में थीं :-

> "*उपधारा* (5)—यदि तहसीलदार अथवा उप-तहसीलदार घोषणा की पुष्टि करता है, तो फिलहाल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भूमि में दाता के सभी अधिकार, स्वत्व तथा हित भूदान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए राज्य बोर्ड को अंतरित हो जाएँगे तथा उसमें निहित हो जाएँगे (बल प्रदान किया गया)।
>
> *उपधारा (6)*—उपधारा (5) के अधीन घोषणा की पुष्टि करने वाले प्रत्येक आदेश को फोर्ट सेंट जॉर्ज राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन पर, धारा 23 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भूमि का दान अपरिवर्तनीय हो जाएगा।"

उपधारा (5) स्पष्ट शब्दों में यह उपबंध करती है कि दान की घोषणा की पुष्टि होने पर, 'किसी अन्य विधि' (अर्थात् इस मामले में संपत्ति अंतरण अधिनियम तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम) के उपबंधों के होते हुए भी, भूमि में अधिकार, स्वत्व तथा हित "अंतरित हो जाएँगे तथा" भूदान बोर्ड में "निहित हो जाएँगे"। और दान की पुष्टि के आदेश

के प्रकाशन के पश्चात् उसे केवल धारा 23 द्वारा परिकल्पित वाद के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।

धारा 20 की उपधारा (1) में यह उपबंध था कि "राज्य बोर्ड इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से *पूर्व* (बल प्रदान किया गया) भूदान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए दान की गई सभी भूमियों की एक सूची तैयार करेगा", जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, विवरण तथा अन्य विशिष्टियाँ, दाता का नाम और पता तथा संबद्ध विवरण दर्शाए जाएँगे। धारा 20 की उपधारा (1) से भी यह स्पष्ट होता है कि भूदान अधिनियम का आशय इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से *पूर्व* किए गए दानों को भी अपने अंतर्गत सम्मिलित करना था। उपधारा (2) में उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई सूची को फोर्ट सेंट जॉर्ज राजपत्र में प्रकाशित करने का उपबंध है।

धारा 20 की उपधारा (3) के पश्चात् जो परन्तुक जोड़ा गया था तथा धारा 20 की उपधारा (4) महत्वपूर्ण हैं और उन्हें उद्धृत किया जाना आवश्यक है। वे इस प्रकार हैं :-

"*उपधारा (3)* ....

परन्तु यह कि जहाँ धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जाँच अधिकारी द्वारा दान की पुष्टि करने वाला आदेश पारित किया जाता है, वहाँ ऐसा दान उस तिथि से प्रभावी माना जाएगा जिस तिथि को दान किया गया था और इस प्रयोजन के लिए यह अधिनियम उस तिथि को प्रवृत्त माना जाएगा।"

"*उपधारा (4)*—जहाँ ऐसी भूमि किसी व्यक्ति को प्रदान कर दी गई हो, वहाँ वह अनुदान की तिथि से प्रभावी होकर यह भी माना जाएगा कि वह भूमि धारा 19 के उपबंधों के अधीन तथा उनके अनुसार उस अनुदानग्राही को प्रदान की गई थी।"

ये दोनों विधिक कल्पना संबंधी उपबंध हैं और अपीलकर्ताओं के तर्क का पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करते हैं। परन्तुक का आशय यह है कि यद्यपि जिस समय दान किया गया था उस समय भूदान अधिनियम अस्तित्व में नहीं था, तथापि अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्

तहसीलदार अथवा उप-तहसीलदार द्वारा बाद में उसकी स्वीकृति दिए जाने पर (जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ), उक्त विधिक कल्पना संबंधी उपबंध के प्रभाव से यह माना जाएगा कि दान की तिथि पर ही अधिनियम प्रवृत्त था। उपधारा (4) ने भी भूदान अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व किसी अनुदानग्राही के पक्ष में किए गए अनुदान के संबंध में इसी प्रकार का विधिक कल्पना संबंधी उपबंध किया था।

धारा 24 इस प्रकार है : "फिलहाल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन की गई अथवा की गई मानी गई प्रत्येक घोषणा तथा भूमि का प्रत्येक अनुदान, स्टाम्प शुल्क, भार प्रमाणपत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क अथवा *भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908* (केंद्रीय अधिनियम XVI, 1908) की धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन मुख्तारनामा के सत्यापन के लिए *देय शुल्क के भुगतान से मुक्त होगा तथा सदैव से मुक्त माना जाएगा*।" (बल प्रदान किया गया)। इस धारा का उपबंध भी यह दर्शाता है कि भूदान अधिनियम के अधीन किए गए दानों तथा अनुदानों को संपत्ति अंतरण अधिनियम तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम के उपबंधों से पूर्वव्यापी प्रभाव सहित मुक्त कर दिया गया था।

उपर्युक्त विवेचन से इसमें तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि भूदान अधिनियम के उपबंधों का पूर्वव्यापी प्रभाव था और उनका आशय भूदान अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा भूदान यज्ञ के लिए किए गए भूमि के दानों को अपने अंतर्गत सम्मिलित करना था तथा ऐसे दानों को भी संपत्ति अंतरण अधिनियम तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम के सुसंगत उपबंधों से पूर्वव्यापी प्रभाव सहित मुक्त कर दिया गया था।

8. धारा 23 ने धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन तहसीलदार अथवा उप-तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अंतिम घोषित किया था तथा उसे अपील अथवा पुनरीक्षण के अधीन नहीं रखा था। तथापि, व्यथित पक्षकार के लिए कोई उपचारहीन स्थिति नहीं थी। धारा 23 के परन्तुक के अधीन, कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूदान यज्ञ को किए गए दान के

परिणामस्वरूप प्रभावित हुआ हो, चाहे वह दान अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किया गया हो अथवा पश्चात्, *तहसीलदार अथवा उप-तहसीलदार* के आदेश को अपास्त कराने के लिए वाद दायर कर सकता था। वर्तमान वाद के वादियों (जो हमारे समक्ष अपीलकर्ता हैं) ने ऐसा कोई वाद दायर नहीं किया था।

9. अब हम 1964 के भूदान (संशोधन) अधिनियम के सुसंगत उपबंधों की ओर आते हैं। मूल अधिनियम की धारा 16 में कोई तात्विक संशोधन नहीं किया गया था। केवल "तहसीलदार अथवा उप-तहसीलदार" के स्थान पर "राज्य बोर्ड" प्रतिस्थापित कर दिया गया था। धारा 17 में भी कोई तात्विक संशोधन नहीं किया गया था। "तहसीलदार अथवा उप-तहसीलदार" के स्थान पर "जाँच अधिकारी" प्रतिस्थापित कर दिया गया था। केवल "तहसीलदार अथवा उप-तहसीलदार" के स्थान पर "जाँच अधिकारी" के प्रतिस्थापन के साथ धारा 20 तथा धारा 23 को यथावत् रखा गया था। संशोधित धारा 24 इस प्रकार है :—

> "फिलहाल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन की गई अथवा की गई मानी गई प्रत्येक घोषणा तथा भूमि का प्रत्येक अनुदान पंजीकरण तथा स्टाम्प शुल्क और भार प्रमाणपत्र शुल्क के भुगतान से मुक्त होगा तथा सदैव से मुक्त माना जाएगा।"

नई धारा 24 की पुरानी धारा 24 से तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि जहाँ तक पंजीकरण तथा स्टाम्प शुल्क का संबंध है, विधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

10. 1964 के भूदान (संशोधन) अधिनियम की धारा 11 नई है और अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे प्रयोजन के लिए सुसंगत खंड (ख) तथा (ग) उद्धृत किए जाने आवश्यक हैं :—

> "*धारा 11* — किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में निहित किसी बात के होते हुए भी, भूदान यज्ञ अथवा ग्रामदान के लिए किसी भूमि का कोई दान तथा ऐसी किसी भूमि का कोई अनुदान, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से

ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रधान अधिनियम के अधीन किया गया हो अथवा किया गया माना गया हो, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं माना जाएगा कि उक्त दान अथवा भूमि का उक्त अनुदान संपत्ति के अंतरण अथवा पंजीकरण से संबंधित किसी विधि के अनुसार नहीं किया गया था और ऐसा प्रत्येक दान अथवा भूमि का अनुदान, सभी प्रयोजनों के लिए, विधिपूर्वक किया गया माना जाएगा तथा सदैव से विधिपूर्वक किया गया माना जाएगा और तदनुसार—

(क) ....

(ख) भूदान यज्ञ अथवा ग्रामदान के लिए दान की गई किसी भूमि के स्वत्व की घोषणा अथवा उसके कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए इस आधार पर कि दान संपत्ति के अंतरण अथवा पंजीकरण से संबंधित विधि के अनुसार नहीं किया गया था, किसी न्यायालय में कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही न तो संस्थित की जाएगी और न ही जारी रखी जाएगी;

(ग) कोई न्यायालय भूदान यज्ञ अथवा ग्रामदान के लिए भूमि के किसी दान को अविधिमान्य घोषित करने वाली अथवा ऐसी किसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को, जिसने उसका दान किया था, अथवा उसके अधीन दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को वापस दिलाने का निर्देश देने वाली किसी डिक्री अथवा आदेश का, खंड (ख) में उल्लिखित आधार पर, प्रवर्तन नहीं करेगा :

परन्तु यह कि ....

और यह भी परन्तु कि ....

और यह भी परन्तु कि ....

स्पष्टीकरण ...."

भूदान (संशोधन) अधिनियम की धारा 11 का खंड (ख) इस आधार पर कि अंतरण (दान) संपत्ति अंतरण अधिनियम अथवा भारतीय पंजीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार

नहीं किया गया था, भूदान यज्ञ के लिए दान की गई किसी भूमि के स्वत्व की घोषणा अथवा उसके कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए किसी न्यायालय में वाद अथवा अन्य कार्यवाही के संस्थापन अथवा संचालन पर रोक लगाता है। धारा 11 का खंड (ग) एक कदम और आगे बढ़कर यह उपबंध करता है कि यदि ऐसे वाद में पहले ही कोई डिक्री पारित की जा चुकी हो, तब भी कोई न्यायालय खंड (ख) में उल्लिखित वाद में पारित डिक्री का निष्पादन नहीं करेगा।

11. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ तक संपत्ति अंतरण अधिनियम तथा पंजीकरण अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन का संबंध है, पुराने तथा नए दोनों अधिनियमों के अधीन विधि समान है। धारा 11 में अंतर्निहित विधि, 1958 के भूदान अधिनियम के अधीन पहले से विद्यमान विधि की स्पष्ट शब्दों में की गई एक घोषणा मात्र है।

12. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित द्वितीय अपील धारा 11 के खंड (ख) के निषेध के अंतर्गत आती थी। यदि प्रतिवादियों द्वारा कोई अपील दायर न भी की गई होती, तब भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के निष्पादन पर प्रतिवादी अथवा कोई अन्य व्यक्ति इस आधार पर सफलतापूर्वक आपत्ति कर सकता था कि स्वयं वाद ही पुराने अधिनियम की धारा 23 के अधीन वर्जित था और इसलिए शून्य था।

13. इस अपील में कोई सार नहीं है और इसे व्यय सहित खारिज किया जाता है।

एन.के.ए. *अपील खारिज।*

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

सन्नी प्रसाद